झारखण्ड विधान सभा

अल्प सूचित प्रश्नों की सूची

चतुर्थ झारखण्ड विधान– सभा
पंचम (बजट)– सत्र
वर्ग– 05

निम्नलिखित अल्प–सूचित प्रश्न, शुक्रवार, दिनांक– 21 फाल्गुन, 1937 [श0] / 11 मार्च, 2016 [ई0] को

झारखण्ड विधान– सभा के आदेश– पत्र पर अंकित रहेंगे :–

क्र0सं0–	विभागों को भेजी गई सा0सं0	सदस्य का नाम	संक्षिप्त विषय	संबंधित विभाग	विभागों को भेजी गई तिथि
01.	02.	03.	04.	05.	06
"क" 126–	अ0सू0– 16	श्री अरूप चटर्जी	भूमि को वापस करना।	राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार	22.02.2016
159–	अ0सू0– 40	श्री गणेश गंझू	रैयतो को मुआवजा।	राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार	03.02.2016
160–	अ0सू0– 27	श्री शिवशंकर उराँव	दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई।	स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परि0 कल्याण	29.02.2016
161–	अ0सू0– 26	श्री शिवशंकर उराँव	मेडिकल बेस्ट का निष्पादन	स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परि0 कल्याण	29.02.2016
162–	अ0सू0– 37	श्री अनंत कुमार ओझा	बेरोजगारों का नियोजन।	श्रम नियोजन प्रशिण एवं कौशल विकास	03.03.2016
163–	अ0सू0– 41	श्री राधाकृष्ण किशोर	मलेरिया की रोक–थाम	स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परि0 कल्याण	05.03.2016
164–	अ0सू0– 31	श्री अमित कुमार	दोषियों पर कार्रवाई।	राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार	29.02.2016
165–	अ0सू0– 44	श्री सत्येन्द्र नाथ तिवारी	रैयतों को मुआवजा।	राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार	05.03.2016
166–	अ0सू0– 12	श्री रवीन्द्रनाथ महतो	चिकित्सा की प्रतिपूर्ति	स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परि0 कल्याण	18.02.2016
167–	अ0सू0– 38	श्री प्रदीप यादव	सेवा बरखास्तगी।	स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परि0 कल्याण	03.03.2016

(क्रमशः)

01.	02.	03.	04.	05.	06
168	अ0सू0– 42	श्री अशोक कुमार	संस्था का नवीनीकरण।	राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार	05.03.2016
169	अ0सू0– 25	श्री रवीन्द्रनाथ महतो	चिकित्सा की प्रतिपूर्ति	स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परि0 कल्याण	26.02.2016
170	अ0सू0– 17	श्री अरूप चटर्जी	जाँच कार्य पूर्ण करना।	राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार	26.02.2016
171	अ0सू0– 20	श्री हरिकृष्ण सिंह	शिविर लगाकर जाँच।	राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार	26.02.2016
172	अ0सू0– 46	बिरंची नारायण	लोक अभियोजक की नियुक्ति।	विधि	05.03.2016

नोटः– "क" 126 अ0सू0–16 दिनांक– 04.03.16 को सदन द्वारा स्थगित।

राँची,
दिनांक– 11 मार्च, 2016 (ई0)।

बिनय कुमार सिंह
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप संख्या– प्रश्न–07/2015 2128 /वि0स0, रांची, दिनांक– 09/03/16

प्रतिः– झारखण्ड विधान–सभा के मा0 सदस्यगण/मा0 मुख्यमंत्री/मा0 मंत्रिगण/मुख्य सचिव तथा माननीया राज्यपाल के प्रधान सचिव/लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं झारखण्ड सरकार के सभी विभागों को सूचनार्थ प्रेषित।

9/3/16
(सुरेश रजक)
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान–सभा, राँची।

ज्ञाप संख्या– प्रश्न–07/2015 2128 /वि0स0, रांची, दिनांक– 09/03/16

प्रतिः– मा0 अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव/आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः मा0 अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

9/3/16
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान–सभा, राँची।

ज्ञाप संख्या– प्रश्न–07/2015 2128. /वि0स0, रांची, दिनांक– 09/03/16

प्रतिः–कार्यवाही शाखा, वेबसाईट शाखा, ऑनलाइन शाखा एवं आश्वासन शाखा को सूचनार्थ प्रेषित।

9/3/16
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान–सभा, राँची।

सुभाष/–

09.03.16

भूमि को वापस करना ।

अतीत

''क'' 126. श्री अरूप चटर्जी--क्या मंत्री, राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में CNTA, SPTA, WILKINSON RULE, संविधान प्रदत्त 5th Schedule के प्रावधानों का होते हुये भी अनु० क्षेत्रों के बहुत बड़ा भू-भाग को 1894 की LA ACT के तहत अधिग्रहण किया गया है;

(2) क्या यह बात सही है कि खण्ड-1 में वर्णित अधिनियम की दुरूपयोग से अब तक 28 लाख आदिवासी एवं स्थानीय किसान विस्थापित एवं प्रभावित हुये तथा अनु० क्षेत्रों के 1 लाख हेक्टेयर भूमि जरूरत से ज्यादा अधिग्रहित किया गया है;

(3) क्या यह बात सही है कि खण्ड-1 में वर्णित LA ACT को वर्ष 2013 में समाप्त कर LA ARA 2013 देश भर में लागू की गई है जिसके धारा 24(2) में ऐसे अतिरिक्त अधिगृहित भूमि को विस्थापित रैयतों को वापस करने का प्रावधान है;

(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड-3 में वर्णित LA ARA 2013 के धारा 24(2) के तहत पुराने विस्थापित रैयतों की भूमि को वापस करने का विचार करती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री

(1) जनहित में सार्वजनिक प्रयोजनार्थ रैयतों का उचित मुआवजा का भुगतान कर भू-अर्जन अधिनियम, 1894 में भू-अर्जन का प्रावधान है ।

(2) आंशिक स्वीकारात्मक ।

(3) दिनांक 1 जनवरी, 2014 के प्रभाव से भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 देशभर में (जम्मू-कश्मीर छोड़कर) लागू किया गया है । जिसके धारा-24 (2) में प्रावधान है कि भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 के अधीन आरंभ की गई भूमि अर्जन की कार्यवाहियों के किसी मामले में, जहाँ धारा 11 के अधीन इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख के पाँच वर्ष या उससे अधिक पूर्व अधिनिर्णय किया है किंतु भूमि का वास्तविक कब्जा नहीं लिया गया या प्रतिकर का संदाय नहीं किया गया है, वहाँ उक्त कार्यवाहियों के बारे में यह समझा जाएगा कि यह व्ययगत हो गई है और समुचित सरकार, यदि वह ऐसा चुनाव करे, इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार ऐसे भूमि अर्जन की कार्यवाहियाँ नए सिरे से आरंभ करेगी ।

भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 101 के अनुसार अर्जित कोई भूमि कब्जा लेने की तारीख से पाँच वर्ष की अवधि तक अनुपयोजित रह जाती है तो उसे यथास्थिति भू-स्वामियों या उनके विधिक वारिसों या सरकार के भूमि बैंक में वापस करने हेतु प्रावधान किया गया है । जिसके आलोक में राज्य सरकार द्वारा गठित भू-अर्जन नियमावली, 2015 के नियम-37 में अतिरिक्त भूमि को भूमि बैंक में वापस करने का प्रावधान किया गया है ।

(4) कंडिका-3 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है ।

नोटः-''क'' 126 दिनांक 4 मार्च, 2016 को सदन से स्थगित ।

159

श्री गणेश गंझू, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–11.03.2016 को पूछा जानेवाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ0सू0–40 का प्रश्नोत्तर।

क्र0	प्रश्न	उत्तर
	श्री गणेश गंझू, माननीय स0वि0स0	माननीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची
1.	क्या यह बात सही है कि चतरा जिले के टण्डवा एन0टी0पी0सी0 भूमि अधिग्रहण में घोर अनियमितता बरती गई है ;	कुल 32 मामले में गलत कागजात के आधार पर भुगतान प्राप्त करने के मामले प्रकाश में आये है।
2.	क्या यह बात सही है कि मुआवजे की राशि किसानों को नहीं मिल पा रही है ;	अस्वीकारात्मक।
3.	क्या यह बात सही है कि मुआवजे की राशि सही रैयतों को न देकर गलत वंशावली बनाकर दूसरे बिचौलियों के बीच में बंदरबांट किया जा रहा है ;	अस्वीकारात्मक।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार किसानों के हित में उचित रैयतों को (कृषक) मुआवजा दिलाने का विचार रखती है और गलत ढंग से भुगतान किये गये राशि के विरूद्ध कार्रवाई करने का विचार रखती है,, यदि हाँ तो कब तक, नहीं, तो क्यों ?	निलाम पत्र वाद के तहत् वसूली की कार्रवाई की गयी है। 07 (सात) व्यक्तियों के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज की जा रहीं है।

झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञापांकः–8बी0/भू0अ0नि0वि0स0 (अ0सू0) –50/16 173/ (8बी0)/रा0 दिनांक– 10-03-16

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक –1986/वि0स0, दिनांक–03.03.16 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव एवं विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10/3/16
सरकार के अवर सचिव

श्री शिवशंकर उराँव, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक 11.03.16 को सदन में पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्रश्न सं0–27 का उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्न	उत्तर
1. क्या यह बात सही है कि एमजीएम, जमशेदपुर द्वारा 9.55 करोड़ की लागत से कैथलैब बनाया गया है जिसके लिए स्थल चयन, डीपीआर तैयार करने में अनियमितता की शिकायत मिली है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। एम0जी0एम0 मेडिकल कॉलेज, जमशेदपुर में कैथलैब के निर्माण की योजना विभागीय पत्रांक–62(6)ब दि012.8.14 के द्वारा कुल 9,95,77,700/रूपए मात्र की लागत पर स्वीकृत की गई है।
2. क्या यह बात सही है कि विभागीय स्वीकृति के बगैर उक्त कार्य प्रारंभ कर दिया गया और अधुरा भवन बन जाने के बाद अब इस कार्य को रोक दिया गया है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। कैथलैब अस्पताल भवन से दूर बनाए जाने के कारण तकनीकी कारणों से निर्माण कार्य रोक दिया गया है।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार अधुरे कैथलैब भवन को पूरा करने और दोषी अधिकारियों के विरूद्ध कार्रवाई करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	एम0जी0एम0 मेडिकल कॉलेज, जमशेदपुर परिसर में 500 शैय्या वाले अस्पताल का निर्माण आगामी वित्तीय वर्ष में प्रस्तावित है ऐसी स्थिति में प्रस्तावित नये अस्पताल भवन में निर्माणाधीन कैथलैब के उपयोग की संभावना पर विचार किया जा रहा है ।

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञापांकः–06/ पी0 वि0स0 (अ0सू0)–64/2016 301(6) राँची/दिनांकः– 10·03·16

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, को उनके ज्ञाप सं0 1750 दिनांक 29.02.2016 के आलोक में 200 प्रतियों में सूचनार्थ प्रेषित।

10/3/2016

सरकार के उप सचिव।

श्री शिवशंकर उरांव, मा0 स0 वि0 स0 द्वारा दिनांक 11.03.2016 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या–26 का उत्तर सामग्री।

क्र0 सं0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि राज्य में अस्पतालों से निकलने वाले बायो मेडिकल वेस्ट के समुचित संग्रहण और उसे नष्ट करने संबंधी कोई नीति नहीं है जिससे नागरिकों के स्वास्थ्य को क्षति पहुंच रही है ;	अस्वीकारात्मक। राज्य में अस्पतालों से निकलने वाले मेडिकल वेस्ट के संग्रहण और उसें नष्ट करने हेतु भारत सरकार द्वारा जारी बायो मेडिकल वेस्ट (मैनेजमेंट एण्ड हैंडलिंग)रूल्स, 1998 प्रभावी है।
2.	क्या यह बात सही है कि बायो मेडिकल वेस्ट के निपटारे के लिए राज्य में कहीं भी कोई प्लांट नहीं है ;	अस्वीकारात्मक। राज्य में बायो मेडिकल वेस्ट के निपटारे के लिए रामगढ़ में निजी संस्थान द्वारा एक कॉमन ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित है जो रांची एवं नजदीक के जिलों के बायो मेडिकल वेस्ट का निष्पादन करती है।
3.	यदि उपुर्यक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार बायो मेडिकल वेस्ट के निष्पादन के लिए समुचित कदम उठाने और दोषी पदाधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का विचार रखती है, यदि हां तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	वर्तमान में राज्य के विभिन्न सरकारी अस्पतालों में बायो मेडिकल वेस्ट के संग्रहण एवं नष्ट करने हेतु कुल 309 डीप बरीयल पीट हैं एवं 219 शार्प पीट है। राज्य में सरकारी संस्थानों में कुल 4 इनसिनरेटर कार्यरत है जो कि रिम्स, रांची, सदर अस्पताल देवघर, बी0सी0सी0एल0, धनबाद एवं बी0जी0एच0, बोकारो में स्थित है। सरकार द्वारा रांची स्थित झिरी में एक प्लांट लगाने की योजना है।साथ ही स्वास्थ्य विभाग द्वारा पूरे राज्य के सरकारी अस्पतालों के बायो मेडिकल वेस्ट का निष्पादन आउटसोर्सिंग द्वारा प्रस्तावित है। बायो मेडिकल वेस्ट के निष्पादन में शिथिलता बरतने वालों के विरूद्व नियमानुसार कार्रवाई की जायगी।

झारखण्ड सरकार

<u>स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग</u>

ज्ञाप सं0– 21/वि0 स0–06–34/2016 81(21) रॉंची, दिनांकः 09-03-16

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, झारखण्ड, रॉंची को उनके ज्ञाप सं0 1748/वि0स0 दिनांक 29.02.2016 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

9/3/16

सरकार के अवर सचिव

162

माननीय स.वि.स. श्री अनन्त कुमार ओझा द्वारा दिनांक 11.03.2016 को पूछा जानेवाला अल्प–सूचित प्रश्न संख्या – 37 का उत्तर सामग्री

क्र.सं.	प्रश्नकर्त्ता माननीय स.वि.स. श्री अनन्त कुमार ओझा	उत्तरदाता श्री राज पलिवार, माननीय मंत्री, श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग
1.	क्या यह बात सही है कि राज्य में "कौशल विकास" (Skill Development) जैसे महात्वाकांक्षी योजनाओं के माध्यम से बेरोजगारों को प्रशिक्षित किया गया है;	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक। श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग अन्तर्गत, झारखण्ड कौशल विकास मिशन सोसाईटी के द्वारा "सक्षम झारखण्ड कौशल विकास योजना" के तहत पायलट चरण में राज्य के युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
2.	क्या यह बात सही है कि राज्य में "कौशल विकास" (Skill Development) का कार्यक्रम एजेंसियों से कराया जा रहा है और उनकी विश्वसनीयता दक्षता के मापदण्ड के अनुरूप राज्य में कार्य नहीं किया जा रहा है;	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक। सक्षम झारखण्ड कौशल विकास योजना के पायलट चरण में प्रशिक्षण सेवा प्रदान करने के लिए, प्रधान सचिव, श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग की अध्यक्षता में गठित चयन समिति की अनुशंसा के आधार पर विहित प्रक्रिया के तहत वैसे एजेंसियों/प्रशिक्षण सेवा प्रदाताओं का चयन किया गया है, जो राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC)/सेक्टर स्किल कॉसिल (SSC) से संबद्धता प्राप्त हैं। राज्य के विभिन्न जिलों में इन एजेंसियों/प्रशिक्षण सेवा प्रदाताओं के माध्यम से युवक–युवतियों को भारत सरकार द्वारा निर्धारित common norms के अनुरूप NSQF (National Skill Qualification Framework) आधारित रोजगारपरक कौशल उन्नयन प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।
3.	यदि उक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार राज्यन्तर्गत "कौशल विकास" जैसे महात्वाकांक्षी योजनाओं को क्रियान्वित कर बेराजगारों को नियोजन कराने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	सरकार राज्य के बेरोजगारों को कौशल विकास के माध्यम से प्रशिक्षित करते हुए रोजगार दिलाने का विचार रखती है। इसके लिए "सक्षम झारखण्ड कौशल विकास योजना" के तहत प्रशिक्षण प्रदान करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। सरकार द्वारा बेरोजगारों को प्रशिक्षण देते हुए रोजगार उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है।

झारखण्ड सरकार
श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग

ज्ञापांक : झा0कौ0वि0मि0/विस (अ0सू0)–271/2016– 265 राँची/दिनांक 09/03/16

प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं0 प्र0 1991 वि0स0 दिनांक 03.03.2016 के अनुपालन में (200 प्रतियों में)/अवर सचिव, श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग (सरकार पक्ष) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

09/03/2016

(अलखदेव प्रसाद)
सरकार के उप सचिव
श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग
झारखण्ड, राँची

163

श्री राधाकृष्ण किशोर, मा0 स0 वि0 स0 द्वारा दिनांक 11.03.2016 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या–41 का उत्तर सामग्री।

क्र0 सं0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि सम्पूर्ण झारखण्ड प्रदेश मलेरिया के चपेट में है ;	आंशिक रूप में स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है, कि घातक प्रकोप से सिलेबरल मलेरिया के अतिरिक्त रिनल मलेरिया तथा हिपैटिक मलेरिया जैसी घातक बिमारियों का प्रकोप तीव्रता से बढ़ रहा है ;	अस्वीकारात्मक। पी0एफ0 मलेरिया से ग्रसित रोगियों का समय पर ईलाज नहीं होने पर उनमें से तीन प्रतिशत रोगियों को सिलेबरल मलेरिया होने की संभावना बढ़ जाती है। रिनल मलेरिया तथा हिपैटिक मलेरिया नामक बीमारी नहीं होती बल्कि मलेरिया के कारण यदि किडनी प्रभावित होता है तो उसे रिनल फेलियोर कहा जा सकता है। यदि मलेरिया के कारण लीवर प्रभावित होता उसे हिपैटिक फेलियोर कहा जा सकता है। पैथोलोजिकल जांच के उपरान्त ही यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है।
3.	क्या यह बात सही है, कि तीन चक्रिय कीटनाशी छिड़काव विगत 03 वर्षों से झारखण्ड राज्य में नहीं किया गया है ;	अस्वीकारात्मक। मलेरिया नियंत्रण के लिए डी0डी0टी0 (50%) कीटनाशी का छिड़काव किया जाता है। तकनीकी रूप से डी0डी0टी0 का छिड़काव 75 दिनों के अन्तराल पर मई से सितम्बर के बीच दो चक्रों में किया जाता है। विगत तीन वर्षों में राज्य में कराये गये कीटनाशी छिड़काव का ब्यौरा इस प्रकार है :– वर्ष कीटनाशी छिड़काव से आच्छादित आबादी 2013 – 46,51,074 2014 – 56,24,632 2015 – 65,59,542
4.	यदि उपुर्यक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार मलेरिया के रोकथाम के लिए कार्रवाई करना चाहती है, यदि हां तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उपरोक्त खण्डों में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं0– 21/वि0 स0–06–38/2016 -83(21) रॉंची, दिनांक: 09-03-16

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं0 2042/वि0स0 दिनांक 05.03.2016 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

9/3/16

सरकार के अवर सचिव

श्री अमित कुमार, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–11.03.2016 को पूछा जानेवाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–31 का प्रश्नोत्तर।

क्र0	प्रश्न		उत्तर
	श्री अमित कुमार, माननीय स0वि0स0		माननीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची
1.	क्या यह बात सही है कि राज्य के द्वारा Online Mutation हेतु NIC के द्वारा Steps/Best Practices for implementation of technical standards के मानको का पालन नहीं किया गया है जिससे भू–अर्जन/सिलिंग/लीज/भू–दान/वन विभाग एवं सरकारी विभाग/ अर्द्धसरकारी विभाग से संबंधित सभी विवरणियों को ऑनलाइन म्युटेशन से पूर्व Data entry Best Practices का अनुपालन नहीं होने के कारण यह त्रुटिपूर्ण है;		अस्वीकारात्मक। अंचलों में ऑनलाईन म्यूटेशन के लिए NIC के द्वारा विकसित Software में उचित मानकों का प्रयोग किया गया है। सभी प्रविष्टियाँ पासवर्ड आधारित अधिकृत प्रयोक्ताओं द्वारा की जाती है एवं सभी प्रविष्टियाँ का लॉग रखा जाता है। प्रविष्ट आँकड़ों के Quality Check-Level 1 एवं Quality Check-Level 2 के सत्यापन के पश्चात् विभाग द्वारा पत्र के माध्यम से NIC को आँकड़ों की CD उपलब्ध कराई जाती है और फिर NIC द्वारा उन आँकड़ों को ऑनलाईन म्यूटेशन के लिए स्थापित किया जाता है। ऑनलाईन म्यूटेशन हेतु स्थापित Software में भी सभी मानकों एवं Best Practices का प्रयोग किया गया है यथा :– • प्रयोक्ता आई0डी0 एवं पासवर्ड संबंधित मानकों का प्रयोग। • पासवर्ड का क्लाइंट कम्प्यूटर पर इंक्रिप्सन। • डिजिटल हस्ताक्षर आधारित प्रयोक्ता सत्यापन • विभिन्न प्रतिवेदनों में QR कोड का उपयोग। • प्रत्येक क्रियाओं का लॉग। • इत्यादि अन्य कार्य। NLRMP अन्तर्गत जिलों के उपलब्ध भू–अभिलेखों का डिजिटाईजेशन का कार्य किया जा रहा है, जो उपलब्ध खतियान एवं पंजी–II की प्रविष्टियों के आधार पर किया जा रहा है। यह एक निरंतर प्रक्रिया है एवं जैसे ही भू–अर्जन/सिलिंग/लीज/भू–दान/वन विभाग एवं सरकारी विभाग/अर्द्धसरकारी विभाग से संबंधित सभी विवरणियों की प्रविष्टि दर्ज की जायेगी वैसे ही उसकी प्रविष्टि डिजिटाईज कर दिया जायेगा।
2.	क्या यह बात सही है कि डाटा इन्ट्री का कार्य एन0आई0सी0 के प्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा ही किया जाता है परन्तु इसके लिए सरकार द्वारा कोई मानक निर्धारित नहीं किया गया है;		डाटा इंट्री का कार्य NIC के द्वारा नहीं किया जाता है बल्कि NIC द्वारा खतियान एवं पंजी–II की प्रविष्टि के लिए विकसित किये गये Software में सरकार द्वारा अधिकृत JSAC एवं जिला स्तर पर कराया जाता है। उक्त एजेन्सियों द्वारा डिजिटाईज्ड भू–अभिलेखों की सत्यापित सी0डी0 NIC को उपलब्ध करायी जाती है जिसके आधार पर NIC द्वारा ऑनलाईन म्यूटेशन की प्रक्रिया स्थापित की जाती है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार सभी आंकड़ों को दुरूस्त करते हुए ऑनलाइन म्युटेशन की व्यवस्था बिना आंकड़ों को दुरूस्त किये बिना ही आदेश निर्गत करनेवाले दोषियों पर सरकार कार्रवाई करना चाहती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?		उपर्युक्त कण्डिका 1 एव 2 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञापांक:–1/निदे0 अभि0 वि0स0 –11/16 134 (1)/रा0 दिनांक– 10-03-16

प्रतिलिपि:–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक–1742/ वि0स0, दिनांक–29.02.16 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव एवं विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10/3/2016

सरकार के उप सचिव

श्री रवीन्द्रनाथ महतो, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक 11.03.16 को सदन में पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न सं0–अ0सू012 का उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्नकर्त्ता:– श्री रवीन्द्रनाथ महतो, मा0स0वि0स0, झारखण्ड, राँची।	उत्तरदाता:– श्री रामचन्द्र चन्द्रवंशी, माननीय, मंत्री, स्वा0 चि0शि0 एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची।
1. क्या यह बात सही है कि केन्द्र सरकार एवं उनके अधिनस्त संस्थान उपक्रम तथा कई राज्यों में किसी भी निजी अस्पताल में कराई गई चिकित्सा की प्रतिपूर्ति की जाती है ;	सूचना अनुपलब्ध है।
2. क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य में कार्यरत कर्मियोंका गृह जिला दूसरे राज्य में है तथा उनका परिवार भी उसी राज्य में रह रहें तथा जरूरत अनुसार वे अपना ईलाज निजी अस्पताल में करवाते है ;	सूचना अनुपलब्ध है।
3. क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य के कर्मचारियों को केन्द्र के अनुरूप चिकित्सा प्रतिपूर्ति में काफी कठिनाई हो रही है तथा उन्हें आर्थिक, मानसिक परेशानी हो रही है;	अस्वीकारात्मक। झारखण्ड राज्य सरकार के सेवी वर्ग की चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति हेतु विभागीय परिपत्र–354 (10) दिनांक 15.09.2006 तथा 753 (6) दिनांक 25.10.2014 निरूपित है।
4. यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार राज्य के कर्मियो को भी किसी भी निजी अस्पताल में कराई कई अन्तःवासी रोगी की चिकित्सा की प्रतिपूति कराने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	झारखण्ड राज्य सरकार के सेवी वर्ग की चिकित्सा हेतु विभागीय परिपत्र–354 (10) दिनांक 15.09.2006 तथा 56 (13) दिनांक 22.02.2014 द्वारा कुल 29 अस्पतालों को सूचीबद्ध किया गया है।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञापांक:–13/ वि0स0–09–02/2016 – 57 (13) स्वा0/राँची/दिनांक:–3-3-16
प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, को उनके ज्ञाप सं0 1211 दिनांक 18.02.16 के आलोक में 200 प्रतियों में सूचनार्थ प्रेषित।

ह० अस्पष्ट
2.3.16

सरकार के अवर सचिव।

श्री प्रदीप यादव, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक 11.03.16 को सदन में पूछा जाने वाला अल्प–सूचित प्र0सं0 अ0सू0– 38 से संबंधित उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्न		उत्तर
क्या मंत्री, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:– 1. क्या यह बात सही है कि स्वास्थ्य विभाग अन्तर्गत **Health Infrastructure Development Corporation** का गठन 2014 में किया गया है;		आंशिक स्वीकारात्मक । विभागीय संकल्प संख्या 155(6) दि0 06.04.13 के द्वारा स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड अन्तर्गत नवगठित झारखण्ड मेडिकल एवं हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट एण्ड प्रोक्योरमेन्ट कॉरपोरेशन का गठन किया गया है ।
2. क्या यह बात सही है कि श्री सरोज श्रीवास्तव नामक व्यक्ति को **Corporation** में **OSD** के पद पर **Bihar Health Infrastructure Development Corporation** जिसका गठन 2008 में हुआ था के कर्मी को नियमविरुद्ध कैडर विभाजन में झारखण्ड पदस्थापित किया गया हैं;		अस्वीकारात्मक । तत्कालीन माननीय विभागीय मंत्री महोदय के अनुमोदनोपरान्त श्री शैलेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, प्रशिक्षण पदाधिकारी, उद्यमिता विकास संस्थान, बिहार की सेवा तीन वर्षों के लिए प्रतिनियुक्ति के आधार पर स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड अन्तर्गत नवगठित झारखण्ड मेडिकल एवं हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट एण्ड प्रोक्योरमेन्ट कॉरपोरेशन के संचालन में सहयोग के निमित विभागीय पत्रांक–580(6) दि0 10.10.13 के आलोक में प्राप्त की गई है ।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार नियमविरुद्ध कैडर विभाजन में आए श्रीवास्तव की सेवा बरखास्तगी, भुगतान किए गए वेतन की वापसी एवं उनके द्वारा निष्पादित कार्य आवंटन को रद्द करने तथा इस षडयंत्र में शामिल दोषी विभागीय पदाधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करना चाहती है यदि हॉ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?		उपर्युक्त कंडिकाओ में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग ।

ज्ञापांक–6/पी0–वि0स0 (अ0सू0)– 74/16– 300(6) स्वा0, राँची, दिनांक: 10.03.16

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0 प्र0–1990/वि0स0, दिनांक 03.03.16 के क्रम में 200 (दो सौ) अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10/3/2016
उप सचिव ।

रजनीकान्त प्रकाश/कम्प्यूटर ऑपरेटर ।

पत्रांक 10/नि. (अल्पसूचित) 10/16.............................

झारखण्ड सरकार

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

श्री अशोक कुमार,स.वि.स. द्वारा दिनांक 11.03.16 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या –42 का उत्तर सामग्री।

क्र.	प्रश्न	उत्तर
	श्री अशोक कुमार, मा0स.वि.स.	श्री अमर कुमार बाउरी, मा0 मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।
1.	क्या यह बात सही है कि अविभाजित बिहार के समय से गोड्डा जिलान्तर्गत महागामा प्रखण्ड में अंजुमन इश्लाहुल मुश्लिमिन परसा, संथाल परगना भागलपुर ना की संस्था है, जिसका निबंधन संख्या–26/68–69 है, एवं उसका कार्यालय ग्राम–परसा, प्रखण्ड–महागामा, जिला–गोड्डा (झारखण्ड) में है ;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि बिहार विभाजन के बाद बिहार सरकार के संकल्प संख्या–BS-3-101551/200-350 दिनांक 06.05.2005 के आलोक में झारखण्ड सरकार निबंधन विभाग द्वारा दिनांक 28.11.05 को समाचार पत्र में सूचना प्रकाशित कराई गई थी कि अविभाजित बिहार के बाद यदि किसी संस्था का कार्यालय झारखण्ड राज्य में पड़ता हो तो, उस संस्था का नविनीकरण कराने हेतु निबंधन विभाग झारखण्ड में 30 दिनों के अन्दर आवेदन जमा करना होगा ;	स्वीकारात्मक।
3.	क्या यह बात सही है कि अंजुमन इश्लाहुल मुश्लिमिन परसा, संथाल परगना भागलपुर द्वारा नविनीकरण कराने हेतु निबंधन कार्यालय झाखण्ड राँची में दिनांक–17.12. 2005 एवं 09.02.2011 तथा पुनः 24.08.2013 को संस्था के सचिव आरिफ हुसैन द्वारा आवेदन दिया गया था, परन्तु आज तक विभाग द्वारा उक्त संस्था का नविनीकरण नहीं किया गया है;	अस्वीकारात्मक। आवेदक द्वारा वर्णित तिथियों को संस्था के नव–निबंधन से संबंधित आवेदन समर्पित करने संबंधी जाँच कार्यालय अभिलेख से की गयी तथा प्रश्नावली की कंडिका–3 में श्री आरिफ हुसैन द्वारा वर्णित तिथियों को संस्था का नव–निबंधन हेतु कोई प्रविष्टि कार्यालय पंजी में नहीं पाई गयी।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या गोड्डा जिलान्तर्गत महागामा प्रखण्ड में अंजुमन इश्लाहुल मुश्लिमिन परसा संथाल परगना भागलपुर (निबंधन संख्या–26/68–69) का नवीनीकरण करने का विचार रखती चाहती है, यदि हाँ तो कब तक नही तो क्यों ?	संस्था अंजुमन इस्लाहुल मुसलेमीन परसा, संथाल परगना भागलपुर नाम से बिहार काल में एक निबंधित संस्था थी। जिसका निबंधन संख्या–26/68–99 था। झारखण्ड गठन के उपरांत अंजुमन इस्लाहुल मुसलेमीन परसा, गोड्डा नाम से विभाग द्वारा एक संस्था का निबंधन किया गया जिसका निबंधन संख्या–33/2001–02 था। पुनः दिनांक 30.11.2005 को पूर्व में बिहार में निबंधित संस्था अंजुमन इस्लाहुल मुसलेमीन परसा, संथाल परगना भागलपुर के नव–निबंधन हेतु विभाग को आवेदन प्राप्त हुआ। इस प्रकार मिलती जुलती नाम से दो संस्थाओं के निबंधन के संबंध में तत्कालीन निबंधन महानिरीक्षक द्वारा सम्यक् विचारोपरांत दिनांक 13.08.2009 को एक आदेश पारित किया गया जिसके द्वारा झारखण्ड राज्य में निबंधित संस्था अंजुमन इस्लाहुल मुसलेमीन परसा, गोड्डा

		निबंधन संख्या–33 / 2001–02 को फर्जी घोषित किया गया तथा बिहार में निबंधित संस्था अंजुमन इस्लाहुल मुसलेमीन परसा, संथाल परगना भागलपुर को पैतृक संस्था माना गया। आदेश के विरूद्ध W.P.C. No. 5560/2009 द्वारा एक माननीय उच्च न्यायालय में एक अपील दायर की गयी जिसे दिनांक 08.10.2012 को माननीय उच्च न्यायालय नें खारिज कर दिया। इसके उपरांत पूर्व में समर्पित संस्था अंजुमन इस्लाहुल मुसलेमीन परसा, संथाल परगना भागलपुर के सचिव श्री जहीरउद्दीन द्वारा दिये गए निबंधन हेतु आवेदन पर विचार करते हुए दिनांक 18.12.2014 को निबंधन संख्या–498 / 2014–15 द्वारा संस्था का निबंधन ऑन–लाईन पद्धति से किया जा चुका है।

ज्ञापांक :– 460 रॉची, दिनांक: 10-3-16

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापक सं॰ 2040 दिनांक 05.03.16 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ (दो सौ प्रति के साथ) प्रेषित।

10/03/16

सरकार के उप सचिव।

Sonu

श्री रवीन्द्रनाथ महतो, माननीय सदस्य, झारखण्ड विधान सभा द्वारा दिनांक– 11-03-2016 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या अ0सू0–25 के संबंध में।

क्रं०	प्रश्नकर्त्ता– श्री रवीन्द्रनाथ महतो, स०वि०स०	उत्तरदाता– श्री रामचन्द्र चन्द्रवंशी मंत्री स्वा० चि० शि० एवं प० क० विभाग
1-	क्या यह बात सही है कि विभागीय ज्ञापांक– 13/आर0– 1– 36/2012– 753 (6) स्वा0, रांची दिनांक– 25-10-14 द्वारा राज्यकर्मियों के वेतनमान/पे बैण्ड की श्रेणी के अनुरूप कमरा /वार्ड के लिए अधिकृत किए गए है ;	स्वीकारात्मक।
2-	क्या यह बात सही है कि उक्त सुविधा हेतु दिनांक– 24-10-14 को मंत्रिपरिषद द्वारा निर्णय ली गयी है परन्तु उक्त सुविधा के अनुसार राज्य कर्मियों की चिकित्सा प्रतिपूर्ति नहीं किया जा रहा है जिससे उन्हें आर्थिक क्षति हो रही है ;	अस्वीकारात्मक। मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए निर्णय के आलोक में विभागीय संकल्प स0–753 (6) स्वा0 दिनांक– 25-10-14 निर्गत तिथि से राज्य में प्रभावी है।
3-	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार 25-10-14 के बाद करायी गयी चिकित्सा की प्रतिपूर्ति उक्त अधिसूचना के अनुसार करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यो ?	उपर्युक्त कंडिका– 2 मे स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखंड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञाप सं० : 13/वि0स0–09-04/16 -55 (13) राँची, दिनांक– 3-3-16
प्रतिलिपि : अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप संख्या प्र०– 1640 दिनांक– 26-02-16 के क्रम में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2-3-16
सरकार के अवर सचिव

Tiwari

श्री अरूप चटर्जी, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–11.03.2016 को पूछा जानेवाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या– 17 का प्रश्नोत्तर।

क्र0	प्रश्न		उत्तर
	श्री अरूप चटर्जी, माननीय स0वि0स0		माननीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची
1.	क्या यह बात सही है कि राज्य में अनु0 जनजातियों के जमीन एवं सरकारी भूमि की अवैध हस्तांतरण हेतु उच्चस्तरीय जाँच दिनांक–26.03.2015 को Special Investigation Team का गठन सरकार द्वारा किया गया था;		स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि एस0आई0टी0 को एक वर्ष की कलावधि में CNTA, SPTA की परिधि में आनेवाले जमीन के अवैध हस्तांतरण CNTA–1908 की धारा–71 ए0 के दुरूपयोग की जाँच कर सरकार को कार्रवाई प्रतिवेदन देना था परन्तु एस0आई0टी0 द्वारा दिनांक–18. 02.2016 तक कोई जाँच प्ररम्भ नहीं किया गया है;		अस्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908 एवं संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम, 1949 में वर्णित प्रावधानों का दुरूपयोग कर भूमि के हुए अवैध हस्तांतरण तथा सरकारी भूमि के अवैध हस्तांतरण की जाँच के संबंध में दैनिक समाचार पत्रों में सूचना का प्रकाशन कर आवेदन पत्रों की माँग की गई थी। अबतक कुल 1017 आवेदन पत्र Online प्राप्त हुए है जिसकी जाँच विशेष जाँच दल (SIT) द्वारा की जा रही है। उक्त सम्बंध में विशेष जाँच दल (SIT) से जाँचोपरांत समय–समय पर अन्तरिम प्रतिवेदन प्राप्त हुए है। विशेष जाँच दल (SIT) अपने दायित्व का निर्वाहन कर रही है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार खण्ड–1 के वर्णित विषयों पर गठित एस0आई0टी0 के जाँच कार्य में विलम्बता तथा जाँच कार्य पूर्ण कराने सम्बंधी कार्रवाई का विचार रखती है, यदि, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?		उपर्युक्त खण्डों के कंडिका–2 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञापांकः–6/वि0स0 (अल्पसूचित) –56/16 861 (6)/रा0 दिनांक– 03-03-16

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक–1648/वि0स0, दिनांक–26.02.16 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/अपर मुख्य सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव एवं विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3/3/16

सरकार के संयुक्त सचिव

श्री हरिकृष्ण सिंह, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–11.03.2016 को पूछा जाने वाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या–20 का प्रश्नोत्तर

क्र.	प्रश्न	उत्तर
	श्री हरिकृष्ण सिंह, माननीय स०वि०स०	माननीय मंत्री, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सूधार विभाग, झारखण्ड, राँची।
1	क्या यह बात सही है लातेहार सम्पूर्ण जिला एवं मनिका प्रखण्ड के नए सर्वे करने में विभागीय पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा भयंकर अनियमितता बरती गई है। जिसमें सर्वे के अधिकारी/कर्मचारी बिना स्पॉट पर गए हुए सर्वे फाईनल कर दिया जिसके फलस्वरूप किसी रैयत का खतियानी जमीन दूसरे रैयत का खतियान बना दिया और पूर्व के रैयत के पास नया सर्वे में कुछ प्रमाण ही नहीं है,	अस्वीकारात्मक छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम 1908 की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत भू–सर्वेक्षण का कार्य लातेहार जिला एवं मनिका अंचल में संपन्न हुआ है। जो कास्तकार (रैयत) अपनी भूमि प्राप्ति का प्रमाण पत्र अपने पक्ष में नहीं दिखा सकें। उनके द्वारा अंतिम प्रकाशन के फलस्वरूप धारा 87 के अंतर्गत वाद दायर किया गया है। जिसकी सुनवाई नियमानुसार लातेहार जिला मुख्यालय में चल रहीं है।
2	क्या यह बात सही है कि नया सर्वे विभाग द्वारा पूर्व में खरीदी गई जमीन एवं उसका कराया गया म्युटेशन एवं रसीद के बावजूद भी नया सर्वे के अनुसार अब रसीद नहीं कट रही है,	उपायुक्त द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि हाल सर्वे के आधार पर रसीद कट रही है।
3	क्या यह बात सही है कि नया सर्वे के अनुसार स्थानीय एवं जाति प्रमाण पत्र बनाया जा रहा है जिससे कि पूराने सर्वे वाले वास्तविक लोगों का वर्णित प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहा है,	वैसे जिला जहाँ कैडस्ट्रल सर्वे को आधार मानकर पुनरीक्षण भू–सर्वेक्षण *(Re-Survey)* का कार्य सम्पन्न हो चुका है। सर्वेक्षित राजस्व ग्रामों का अंतिम प्रकाशन करते हुए खतियान/पर्चा वितरित हो चुका है। लगान का निर्धारण हो चुका है। राज्य सरकार द्वारा अंतिम प्रकाशित मौजों का अंधिसूचना निर्गत कर गजट का प्रकाशन कर दिया गया है। वैसे क्षेत्रों में *(Re-Survey)* के आधार पर जाति/आवासीय प्रमाण पत्र निर्गत किया जाना नियमानुकूल हैं। गत सर्वे के आधार पर भी उक्त प्रमाण पत्र निर्गत की जा रही है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार नया सर्वे को रोकते हुए प्रखण्ड स्तर पर सक्षम पदाधिकारी के उपस्थिति में शिविर लगाकर स्पॉट पर जाँच की कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	कैडस्ट्रल सर्वे को आधार मानकर रिसर्वे (पुनरीक्षित भू–सर्वेक्षण बिहार सर्वे सेटेलमेन्ट मैन्यूअल 1959 के विभिन्न प्रावधानों के तहत की जा रही है।

झारखण्ड सरकार
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

ज्ञापांकः–02/भू०अ०नि०परि०निदे०–19/2016 (वि०स०अल्पसूचित)– 135/रा० दिनांक– 10-03-16

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा को उनके ज्ञापांक–1651 वि०स०, दिनांक–26.02.2016 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/अपर मुख्य सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय एवं विभागीय के आप्त सचिव एवं विभागीय प्रशाखा–12 (समन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10/3/2016

सरकार के उप सचिव।

172

श्री बिरंची नारायण, माननीय सदस्य, झारखंड विधानसभा द्वारा दिनांक– 11.03.2016 को सदन में पूछे जाने वाले अल्पसूचित प्रश्न संख्या– अ0सू0–46 का उत्तर सामग्री।

	प्रश्न		उत्तर
1.	क्या यह बात सही है, कि राज्य के विभिन्न न्यायालयों में अधिवक्ता कार्यरत हैं, जिन्हें विभाग द्वारा जीवन बीमा, बीमारी तथा अन्य समस्याओं से निपटने हेतु ऋण, इत्यादि जैसी मूलभूत सुविधाएँ प्रदान नहीं की जा रही है?	:–	महाधिवक्ता सह अध्यक्ष, झारखंड अधिवक्ता कल्याण निधि न्यासी समिति, झारखंड से उनके पत्रांक–1155/16, दिनांक–09.03.2016 द्वारा प्राप्त उत्तर प्रतिवेदन की प्रति संलग्न।
2.	क्या यह बात सही है कि दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 24 में सरकार द्वारा संशोधन करने के उपरांत राज्य के न्यायालयों में सेवारत अधिवक्ता संघों में से लोक अभियोजक, अपर लोक अभियोजक एवं विशेष लोक अभियोजक इत्यादि की नियुक्ति करने की कार्रवाई भी बंद हो गयी है?	:–	प्रश्नगत मामला गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग का कार्यक्षेत्र है, अतः वांछित सूचना उपलब्ध कराने हेतु प्रश्न की छायाप्रति विधि विभागीय पत्रांक–549, दिनांक–08.03.2016 द्वारा हस्तांतरित की जा चुकी है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार अधिवक्ताओं के कल्याणार्थ विशेष कोष की व्यवस्था करते हुए पुनः धारा 24 में संशोधन कर पूर्व की भांति अधिवक्ता संघों में से लोक अभियोजक, इत्यादि नियुक्त करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नही तो क्यों?	:–	कंडिका 1 एवं 2 में प्रदत्त उत्तर से स्थिति स्वतः स्पष्ट है।

झारखण्ड सरकार,
विधि विभाग

ज्ञापांक– बी0/विधि– वि0स0प्र0–12/2016– 600 /जे0, राँची, दिनांक– 10 मार्च, 2016.

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखंड विधानसभा, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–2041, दिनांक–05.03.2016 के प्रसंग में उत्तर की 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।

अनुलग्नकः– यथोक्त।

10.03.16

(बी0 बी0 मंगलमूर्त्ति),
प्रधान सचिव–सह–विधि परामर्शी।

(31)

महाधिवक्ता कार्यालय,
झारखंड उच्च न्यायालय, राँची।

पत्रांक– 1155/16 राँची/दिनांक– 9.03.2016

प्रेषक,

बिनोद पोद्दार,
महाधिवक्ता सह अध्यक्ष, झारखण्ड अधिवक्ता कल्याण निधि न्यासी समिति,
झारखण्ड। झारखंड।

09.03.16

सेवा में,

राज कमल मिश्रा,
संयुक्त सचिव सह अपर विधि परामर्शी,
विधि (न्याय) विभाग, झारखण्ड, राँची।

विषयः विधान सभा अल्प सूचित प्रश्न सं0– 46 उत्तर तिथि 11.03.2016 के संबंध में।

प्रसंगः आपका पत्रांक 550 जे0 दिनांक 08.03.2016

महाशय,

उपर्युक्त विषय एवं प्रसंग में कहना है कि प्रश्न झारखण्ड अधिवक्ता कल्याण निधि न्यासी समिति (Jharkhand Advocates Welfare Fund Trustee Committee) एवं Jharkhand Advocates Welfare (Pension and Family Pension) Rules, 2012 से संबंधित है तदनुसार उत्तर प्रतिवेदन तैयार किया गया है। इसे संलग्न कर भेजा जाता है।

Act के संगत पृष्ठों की छायाप्रति संलग्न है।

विश्वासभाजन

Advocates Welfare Fund Trustee Committee Ranchi

(बिनोद पोद्दार)
महाधिवक्ता सह अध्यक्ष, झारखण्ड
अधिवक्ता कल्याण निधि न्यासी समिति,
झारखण्ड।

(30)

<u>महाधिवक्ता कार्यालय</u>
<u>झारखण्ड उच्च न्यायालय, रांची।</u>

श्री विरंची नारायण, माननीय सदस्य, झारखण्ड विधान सभा द्वारा दिनांक 11.03.2016 को पुछा जानेवाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या 46 का उत्तर प्रतिवेदनः–

क्र0 सं0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि राज्य के विभिन्न न्यायालयों में अधिवक्ता कार्यरत है जिन्हें विभाग द्वारा जीवन बीमा, बीमारी तथा अन्य समस्याओं से निपटने हेतु ऋण इत्यादि जैसी मुलभूत सुविधाएं प्रदान नहीं की जा रही है।	झारखण्ड अधिवक्ता कल्याण निधि न्यासी समिति (Jharkhand Advocates Welfare Fund Trustee Committee) के द्वारा राज्य के विभिन्न न्यायालयों में कार्यरत अधिवक्ता जो न्यासी समिति के सदस्य हैं उन्हें न्यासी समिति (Trustee Committee) द्वाराः– 1. जीवन बीमा– जीवन बीमा नाम से कोई योजना नहीं है बल्कि मृत्यु लाभ के रूप में न्यूनतम Rs. 2,60,000/- (दो लाख साठ हजार रूपये) और अधिकतम Rs. 7,00,000/- (सात लाख रूपये) तक न्यासी समिति द्वारा स्वीकृत की जाती है। 2. बीमारी लाभ– इसमें कुछ गम्भीर बीमारी जैसे वृहद शल्य किया संबंधी ऑपरेश्न क्षय रोग, कोढ, लकवा कैंसर या ऐसे अन्य बीमारी होने पर न्यासी समिति द्वारा अधिकतम Rs. 50,000/- (पचास हजार रूपये) तक अनुग्रह अनुदान स्वीकृत किया जाता है। 3. स्वैच्छिक सेवा निवृति लाभ – स्वैच्छिक सेवा निवृत होने पर न्यासी समिति द्वारा न्यूनतम Rs. 11,000/- (ग्यारह हजार रूपये) एवं अधिकतम Rs. 4,50,000/- (चार लाख पचास हजार रूपये) नियमानूसार दिया जाता है। 4. शैक्षणिक सुविधा यथा विहित रीति से प्रदान किया जाता है। 5. पेंशन स्कीम में नामित अधिवक्ताओं को लाईसेंस सरेन्डर करने के बाद नियमानुसार शतों के अधीन Rs. 7000/- (सात हजार रूपये) प्रति माह पेंशन दिया जाता है

विश्वासभाजन

Binod Poddar
(बिनोद पोद्दार)
महाधिवक्ता सह अध्यक्ष, झारखण्ड
अधिवक्ता कल्याण निधि न्यासी समिति ,
झारखण्ड।

Jharkhand Advocates Welfare Fund Trustee Committee Ranchi